FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

गंगाराम बनाम खामाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RLRAct नं. सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.2.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम व्यास ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/2/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
25/2/2020	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वंय या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11/3/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 15:24:19 IST
Reason: SelfAttested

11.3.2020

प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगण अनुपस्थित
प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। मान्य
अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी
विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि शामिल आई
हुई है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतों के बीच
जो पुरानी मेड़े एवं कांटे बने हुए है वह आंधियों
की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी को
अपने खेतों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है
वर्षात होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी के खेतों
में काश्त कर लेते है। जिससे पक्षकारों के
के बीच में हर समय तनाजा बना रहता है। इस
कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की पक्की
नेखमबंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी
का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर
नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन
स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर
एवं सम्बंधित भू. अ. निरीक्षक को सहायक कमीशनर
नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप
स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी
भूमि की पक्की नेखमबंदी मौके पर नियमानुसार
कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करे पालना
रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली
फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल
दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
11.3.2020
सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 15:24:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 260 दिनांकः– 11.03.2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गंगाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. बालाराम पुत्र भगवानाराम वगैरा निवासी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 30 / 2020 /

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चौखला पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 446 / 249 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधिंत भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 261 to 266 दिनांकः–

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गंगाराम
4. विप्रार्थीगण श्री बालाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

11.3.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 15:24:19 IST
Reason: SelfAttested